सन्तरा देवी / सुन्दर सिंह

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
19.1.21	पत्रावली पेश हुई। सरिश्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की दफा-5 के प्रार्थना-पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को सुना गया साथ ही प्रार्थना-पत्र 96 CPC पर भी बहस सुनी गई। अपील Subject to Limitation व 96 CPC पर दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को एकपक्षीय सुना तथा अपील के तथ्यों एवं तहत अदालत के आदेश का अवलोकन किया। अपी. का कथन है कि तहत अदालत में प्रार्थना-पत्र O1 R10 धारा 151 CPC प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया गया था किन्तु तहत अदालत द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र का निर्णय किये बिना ही धारा 212 RT Act के प्रार्थना-पत्र का निर्णय कर दिया साथ ही अपी. ने निवेदन किया कि वादी / असल रेस्पो. द्वारा मृतक रामपाल सिंह का जाली सजरा प्रस्तुत किया है जिसमें मिन अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया है, चूंकि विवादित आराजी पैत्रिक दादालाई की आराजी है, इसलिये उस आराजी में अपी. का बाईवर्ग अधिकार व हिस्सा है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.19 का क्रियान्वन स्थगित किया जावे। अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन तथा तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी नीमराना के आदेश दिनांक 23.12.19 तथा आदेशिकाओं का अवलोकन किया। तहत अदालत की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपी. द्वारा तहत अदालत में प्रार्थना-पत्र O1 R10 प्रस्तुत किया गया था, किन्तु तहत अदालत द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र का निर्णय नहीं किया गया है। अतः तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी, को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाकर	

--- लगातार

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	तहत अदालत को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र 0, 2-10 पर सुनवाई की जाकर आगामी एक माह में प्रार्थना-पत्र 0, 2-10 का निर्णय किया जाना सुनिश्चित करें। अपी० को निर्देशित किया जाता है कि वे तहत अदालत में उपस्थित होकर चाराजोई करें। निर्णय की एक प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तामील आज्ञा दाखिल दफ्तर हो। [illegible]/01/202[illegible] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	